भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 867

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों की कमी

867. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक देश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता की राज्य-वार क्या स्थिति है;

(ख) क्या देश में चिकित्सकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष कुल कितने चिकित्सक स्नातक करते हैं और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार वार्षिक शुल्क कितना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार चिकित्सा छात्रों द्वारा देय शुल्क को कम करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नवंबर 2024 तक राज्य मेडिकल काउंसिल(एसएमसी) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के साथ 13,86,145 एलोपैथिक चिकित्सक पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों की 80% उपलब्धता और लगभग 6.14 लाख आयुष चिकित्सकों की संख्या को मानते हुए, देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:811 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000 के मानक से बेहतर है। एसएमसी/एमसीआई के साथ पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वर्ष 2014 से पहले के 387 से अब 780 अर्थात् 102% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों की संख्या में वर्ष 2014 से पहले के 51,348 से अब 1,18,137 अर्थात् 130% की वृद्धि हुई है और पीजी सीटों की संख्या में वर्ष 2014 से पहले के 31,185 से अब 73,157 अर्थात् 135% की वृद्धि हुई है।

देश में चिकित्सक/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में निम्न शामिल हैं:-

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के 27 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत/उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 69 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।
v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
vi. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है।

जैसा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) में परिकल्पित है, एनएमसी ने निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित हैं।

*****

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

नवंबर, 2024 तक राज्य मेडिकल काउंसिल/ तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के साथ पंजीकृत और मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता धारक चिकित्सकों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	राज्य मेडिकल काउंसिल का नाम	एलोपैथिक चिकित्सकों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल	105805
2.	अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	1660
3.	असम मेडिकल काउंसिल	25980
4.	बिहार मेडिकल काउंसिल	48200
5.	छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल	10962
6.	दिल्ली मेडिकल काउंसिल	31481
7.	गोवा मेडिकल काउंसिल	4720
8.	गुजरात मेडिकल काउंसिल	79169
9.	हरियाणा मेडिकल काउंसिल	15714
10.	हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल	7296
11.	जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल	18720
12.	झारखंड मेडिकल काउंसिल	8544
13.	कर्नाटक मेडिकल काउंसिल	141155
14.	मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल	49730
15.	महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल	209540
16.	पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद	52672
17.	मिजोरम मेडिकल काउंसिल	156
18.	नागालैंड मेडिकल काउंसिल	166
19.	उड़ीसा मेडिकल पंजीकरण काउंसिल	29792
20.	पंजाब मेडिकल काउंसिल	53446
21.	राजस्थान मेडिकल काउंसिल	49049
22.	सिक्किम मेडिकल काउंसिल	1880
23.	तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल	149399
24.	त्रावणकोर मेडिकल काउंसिल	73070
25.	उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल	99737
26.	उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल	10249
27.	पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल	78759
28.	त्रिपुरा मेडिकल काउंसिल	2683
29.	तेलंगाना मेडिकल काउंसिल	26411
	महायोग	1386145

स्रोत: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

नोट: – पूर्ववर्ती एमसीआई ने वर्ष 2015 से पंजीकरण करना बंद कर दिया था।

*****